माननीय न्यायमूर्ति रंजीत सिंह के समक्ष

घनश्याम दास शर्मा, याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य एवम अन्य— उत्तरदातागण

***1999*** की C.W.P. संख्या 7303

28 जुलाई, 2009

भारत का संविधान, ***1950-*** अनुच्छेद ***226-***हरियाणा अधीनस्थ कृषि ***(***ग्रुप सी***)*** सेवा नियम, ***1993-*** नियम ***9*** एवं ***12-***प्रशासनिक संवर्ग एवं मृदा संरक्षण संवर्ग की संयुक्त वरिष्ठता सूची— संवर्गों का विभाजन-मिट्टी संरक्षण संवर्ग में समाहित करने का विकल्प दिया गया-याचिकाकर्ता का नाम भूमि संरक्षण संवर्ग में समाहित व्यक्तियों की अस्थायी वरिष्ठता सूची से बाहर किया गया-याचिकाकर्ता से कनिष्ठ अधिकारियों के नाम वरिष्ठता सूची में शामिल किए गए- वरिष्ठता और दिए गए विकल्प को नजरअंदाज कर कैडर आवंटित करने में उत्तरदाताओं की कार्रवाई को बरकरार नहीं रखा जा सकता - याचिकाएं स्वीकार की गई, उत्तरदाताओं को पूरे मुद्दे पर पुनर्विचार करने और फिर से निर्णय लेने का निर्देश दिया गया, विभिन्न कैडरों में अधिकारियों को आवंटित करते समय वरिष्ठता और उसके परिणामी प्रभाव पर उचित विचार किया गया -हालांकि, जो याचिकाकर्ता अपने विकल्प का प्रयोग करने में विफल रहे, वे अपने संवर्ग के कार्यभार पर इस तरह के पुनर्विचार के हकदार नहीं हैं

अभिनिर्धारित किया गया, स्वाभाविक रूप से, उत्तरदाताओं को संबंधित व्यक्ति से एक विकल्प प्राप्त करना चाहिए था, जब कैडर को विभाजित किया गया था और यदि सभी कर्मचारियों को उनकी पसंद के अनुसार एक कैडर में समायोजित करना संभव नहीं है, तो उन्हें वर्गीकृत करना, वरिष्ठता क्रम में उनके विकल्प को ध्यान में रखते हुए। उनकी पोस्टिंग के आधार पर उन्हें एक कैडर में समाहित करने की कार्रवाई उचित और उचित मानदंड नहीं होगी क्योंकि यह कर्मचारियों के हाथ में नहीं है और यह एक आकस्मिक परिस्थिति है जो पूरी तरह से नियोक्ता द्वारा ऐसे कर्मचारी को दी गई पोस्टिंग पर निर्भर है। वरिष्ठता और दिए गए विकल्प को नजरअंदाज कर कैडर आवंटित करने में उत्तरदाताओं की कार्रवाई को कायम नहीं रखा जा सकता है। इसलिए, उत्तरदाताओं को निर्देश दिया जाता है कि वे की गई टिप्पणियों के आलोक में पूरे मुद्दे पर पुनर्विचार करें और फिर से निर्णय लें और अधिकारियों को विभिन्न संवर्ग आवंटित करते समय वरिष्ठता और उसके परिणामी प्रभाव पर उचित विचार करें। हालाँकि, याचिकाकर्ता, जिन्होंने अपने विकल्प नहीं दिए थे, वे अपने कैडर के असाइनमेंट पर इस तरह के पुनर्विचार के हकदार नहीं होंगे और वे उस कैडर में बने रहेंगे, जो उन्हें उत्तरदाताओं द्वारा सौंपा गया है। उत्तरदाताओं की ओर से दुर्भावना का कोई आरोप नहीं लगाया गया है और उत्तरदाताओं को इस अभ्यास को फिर से करने का निर्देश देते समय केवल परिणामी परिणामों को ध्यान में रखा गया है और इस प्रकार, जिन अधिकारियों ने अपने विकल्प का प्रयोग नहीं किया है, उन पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

पुनीत बाली, अधिवक्ता, याचिकाकर्ता के लिए

हरीश राठी सीनियर. डीएजी, हरियाणा राज्य के लिए

रणजीत सिंह, न्यायमूर्ति

**(1)** कृषि विकास अधिकारी के कैडर के विभाजन से मुकदमेबाजी बढ़ गई है, जिससे कई अधिकारियों को कृषि विकास अधिकारियों के कैडर को सौंपने के आदेश को चुनौती देने के लिए मजबूर होना पड़ा है। वे सभी विभाजन के बाद बनाए गए मृदा संरक्षण संवर्ग में अपने समावेशन के लिए प्रार्थना करते हैं। उनकी शिकायत मुख्य रूप से इस आधार पर है कि सेवा कयिर में उनकी आगे की प्रगति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जो लोग संयुक्त कैडर में उनसे कनिष्ठ हैं, वे अब उनसे आगे निकल जाएंगे और उनसे आगे पदोन्नति प्राप्त करेंगे, जबकि याचिकाकर्ता , जिन्हें सौंपा गया है, एडीओएस संवर्ग पीड़ित और स्थिर रहेगा और कनिष्ठर भी बन जाएंगे। बड़ी संख्या में एडीओ कैडर से नियुक्त याचिकाकर्ताओं ने ये रिट याचिकाएं दायर की हैं। **1999** की सिविल रिट याचिका संख्या **7303** (घनश्याम दास शर्मा और अन्य (एक याचिकाकर्ता द्वारा) बनाम हरियाणा राज्य और अन्य) को मुख्य याचिका के रूप में लिया जा रहा है और इसे **1999** की संबंधित सिविल रिट याचिका संख्या **4204** के साथ निपटाया जा रहा है। सत्यवीर सिंह और अन्य ( दो याचिकाकर्ताओं द्वारा) बनाम हरियाणा राज्य और अन्य), **1999** का **4407** भल्ले राम (एक याचिकाकर्ता द्वारा) बनाम हरियाणा राज्य और अन्य, **1999** के **4526** (महावीर सिंह और अन्य (तीन याचिकाकर्ताओं द्वारा) बनाम हरियाणा राज्य) हरियाणा और अन्य), **1999** का **5463** (सुरिंदर कुमार ( एक याचिकाकर्ता द्वारा) बनाम हरियाणा राज्य और अन्य), **1999** का **9100** (ओम वीर सिंह तोमर और अन्य (पांच याचिकाकर्ताओं द्वारा) बनाम हरियाणा राज्य और अन्य), **1999** का **14789** (राम किशन और अन्य (दो याचिकाकर्ताओं द्वारा) बनाम हरियाणा राज्य और अन्य, **2000** का **3860** अजमेर सिंह और अन्य ( सात याचिकाकर्ताओं द्वारा) बनाम हरियाणा राज्य और अन्य), **2001** का **6945** (सुरिंदर कुमार (एक याचिकाकर्ता द्वारा) बनाम हरियाणा राज्य और अन्य), **2001** का **6991** (ओम प्रकाश) पुनिया और अन्य (पंद्रह याचिकाकर्ताओं द्वारा) बनाम हरियाणा राज्य और अन्य), **2001** का **7548** (उत्तम सिंह और अन्य ( दो याचिकाकर्ताओं द्वारा) बनाम हरियाणा राज्य और अन्य), **2001** का **7857** (मांगे राम (एक याचिकाकर्ता द्वारा) बनाम राज्य हरियाणा और अन्य का), और **2001** का **7954** (चंद्र शेखर सिंह ( एक याचिकाकर्ता द्वारा) बनाम हरियाणा राज्य और अन्य)।

(2) संक्षेप में इन सभी याचिकाओं में जो तथ्य एक समान है , वे ये हैं कि याचिकाकर्ता ने बी.एससी. की डिग्री प्राप्त करने के बाद। 24 फरवरी, 1997 को सीधी भर्ती के माध्यम से कृषि विकास अधिकारी (इसके बाद "एडीओ" के रूप में संदर्भित किया जाता है) के रूप में नियुक्त किया गया था। उनकी सेवाओं को 1 जनवरी, 1980 से नियमित कर दिया गया था। हरियाणा अधीनस्थ कृषि (समूह सी) सेवा नियम, 1993 (इसके बाद "1993 नियम" कहा जाएगा) के रूप में जाने जाने वाले नियम वर्ष 1993 में अधिनियमित किए गए थे। वर्ष 1996 में, कुछ विभाग

में कार्यरत कर्मचारियों ने 1996 की सिविल रिट याचिका संख्या 13885 दायर कर उत्तरदाताओं को सेवा नियमों के अनुसार सही वरिष्ठता सूची तैयार करने और बनाए रखने का निर्देश देने की प्रार्थना की। इस रिट याचिका का निपटारा उत्तरदाताओं को 1993 के नियम 12 के संदर्भ में नियमों द्वारा शासित कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची तैयार करने के निर्देश के साथ किया गया था।

(3) विभाग में कार्यरत सभी कर्मचारियों की सेवा शर्तें, भले ही वे विभिन्न पदों/संवर्ग पर हों, 1993 के नियमों द्वारा शासित थीं। 1993 के नियमों का भाग 2 सेवा में भर्ती को नियंत्रित करता है। नियम 7 में प्रावधान है कि किसी भी व्यक्ति को सेवा में किसी भी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि उसके पास सीधी भर्ती के मामले में उक्त नियमों के परिशिष्ट बी के कॉलम 3 में निर्दिष्ट योग्यता और अनुभव न हो। सीधी भर्ती के अलावा अन्य नियुक्ति के मामले में परिशिष्ट. तकनीकी सहायक के पद पर पदोन्नति के लिए, एडीओ के रूप में 5 वर्ष का अनुभव आवश्यक था जैसा कि परिशिष्ट बी में दिया गया है। शैक्षणिक योग्यता बी.एससी. की डिग्री है। (ऑनर्स) किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि में। नियम 9(1)(3) में कहा गया है कि तकनीकी सहायक के मामले में सेवा में भर्ती या तो एडीओएस में से पदोन्नति द्वारा या स्थानांतरण द्वारा या पहले से ही भारत सरकार या राज्य सरकार की सेवा में मौजूद किसी अधिकारी की प्रतिनियुक्ति द्वारा की जाएगी। नियम 9(1)(ई) में प्रावधान है कि तकनीकी सहायक के पद पर पदोन्नति एडीओएस (मृदा संरक्षण/मृदा सर्वेक्षण) में से होगी। मृदा संरक्षण/मृदा सर्वेक्षण एवं मृदा परीक्षण संवर्ग (संक्षेप में, "मृदा संरक्षण संवर्ग") के पद के विरुद्ध। इसके अलावा, ऐसी पदोन्नति किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही कार्यरत किसी अधिकारी के स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा हो सकती है। नियम 9(2) के अनुसार ऐसी पदोन्नतियाँ वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर की जानी थीं। केवल वरिष्ठता ऐसी पदोन्नति पर कोई अधिकार प्रदान नहीं करती। इस पृष्ठभूमि में, 1993 के नियमों के नियम 12 में सेवा के सदस्यों की परस्पर वरिष्ठता का प्रावधान किया गया था और इसे सेवा में किसी भी पद पर निरंतर सेवा की अवधि के आधार पर निर्धारित किया जाना था। त्वरित संदर्भ के लिए, 1993 के नियमों के नियम 9(1)(3), 9(1)(ई), 9(2) और 12 के प्रावधान यहां पुन: प्रस्तुत किए गए हैं:-

"9(1)(3) तकनीकी सहायक के मामले में:-

(I) कृषि विकास अधिकारियों में से पदोन्नति द्वारा; या

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही कार्यरत किसी अधिकारी के स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा।

9(1)(ई)मृदा संरक्षण/मृदा सर्वेक्षण एवं मृदा परीक्षण संवर्ग:-

(1) तकनीकी सहायक के मामले में-

(i) कृषि विकास अधिकारियों (मृदा संरक्षण/मृदा सर्वेक्षण) में से पदोन्नति द्वारा; या

(ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही कार्यरत किसी अधिकारी के स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा। मैं

9(2) जब तक अन्यथा प्रदान न किया जाए, सभी पदोन्नतियां वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर की जाएंगी और अकेले वरिष्ठता ऐसी पदोन्नति के किसी भी अधिकार का खंडन नहीं करेगी।

12. सेवा के सदस्यों की परस्पर वरिष्ठता सेवा में किसी भी पद पर निरंतर सेवा की लंबाई से निर्धारित की जाएगी:

बशर्ते कि जहां सेवा में अलग-अलग संवर्ग हों, वहां वरिष्ठता प्रत्येक संवर्ग के लिए अलग अलग निर्धारित की जाएगी:

बशर्ते कि सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्यों के मामले में, बोर्ड या किसी अन्य भर्ती प्राधिकारी द्वारा निर्धारित आदेश या योग्यता, जैसा भी मामला हो, वरिष्ठता तय करने में परेशान नहीं किया जाएगा:

बशर्ते कि एक ही तिथि पर नियुक्त दो या दो से अधिक सदस्यों के मामले में, उनकी वरिष्ठता निम्नानुसार निर्धारित की जाएगी: -

(a) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्य पदोन्नति या स्थानांतरण द्वारा नियुक्त सदस्य से वरिष्ठ होगा

(b) पदोन्नति द्वारा नियुक्त सदस्य स्थानांतरण द्वारा नियुक्त सदस्य से वरिष्ठ होगा;

(c) पदोन्नति या स्थानांतरण द्वारा नियुक्त सदस्यों के मामले में, वरिष्ठता उन नियुक्तियों में ऐसे सदस्यों की वरिष्ठता के अनुसार निर्धारित की जाएगी जहां से उन्हें पदोन्नत किया गया था"

(d) विभिन्न संवर्गों से स्थानांतरण द्वारा नियुक्त सदस्यों के मामले में, उनकी वरिष्ठता वेतन के अनुसार निर्धारित की जाएगी, उस सदस्य को प्राथमिकता दी जाएगी, जो अपनी पिछली नियुक्ति में उच्च वेतन दर प्राप्त कर रहा था; और यदि आहरित वेतन की दरें भी समान हैं, तो नियुक्तियों में उनकी सेवा की अवधि के अनुसार, और यदि ऐसी सेवा की अवधि भी समान है, तो बड़ा सदस्य छोटे सदस्य से वरिष्ठ होगा;

(e) यदि एक ही श्रेणी के एक से अधिक व्यक्ति एक ही दिन में शामिल होते हैं, तो उनकी परस्पर वरिष्ठता सिविल सेवा नियमों के अनुसार निर्धारित की जाएगी।

(4) वर्ष 1997 में, सटीक रूप से कहें तो, 5 जून 1997 को निदेशक, कृषि ने राज्य में कृषि विभाग में प्रशासनिक संवर्ग में एडीओएस के 1159 पद और मृदा संरक्षण संवर्ग में एडीओएस के 141 पद स्वीकृत किये। इसके अलावा, यह निर्णय लिया गया कि उपरोक्त पंक्तियों के संवर्गों को नई सेवा नियमावली 1993 के अनुसार अलग से बनाए रखा जाएगा। इन सभी याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं का दावा है कि वे दोनों कैडर के लिए पात्र थे, नियमों के तहत निर्धारित योग्यता और अनुभव समान थे। तदनुसार, इन दोनों संवर्गों में उनके अवशोषण के लिए इच्छुक कर्मचारियों, जो योग्यता और अनुभव को पूरा करते थे, से निर्धारित प्रोफार्मा के तहत विकल्प आमंत्रित किया गया था। उन्हें 25 जून, 1997 तक अपने विकल्प प्रस्तुत करने थे। अधिकांश याचिकाकर्ताओं ने मृदा संरक्षण संवर्ग में अपने स्थायी अवशोषण के लिए निर्धारित प्रोफार्मा पर अपनी सहमति/विकल्प दिया है। इस मामले में याचिकाकर्ता ने 30 जून, 1997 को ऐसा विकल्प दिया था। हालाँकि, कुछ याचिकाकर्ताओं ने कोई विकल्प नहीं दिया, जिसका संदर्भ इस आदेश के अगले भाग में दिया जाएगा। याचिकाकर्ता और उसके समान द्वारा दिए गए विकल्पों को संभागीय संरक्षण अधिकारी द्वारा निदेशालय को भेज दिया गया था। संयुक्त संवर्ग की वरिष्ठता सूची में प्रशासनिक संवर्ग के साथ-साथ मृदा संरक्षण संवर्ग की भी वरिष्ठता संयुक्त रूप से रखी गई थी। याचिकाकर्ता का नाम 1 जनवरी 1983 को वरिष्ठता सूची में क्रमांक 910 पर था। याचिकाकर्ता ने, हालांकि मृदा संरक्षण कैडर का विकल्प चुना है, लेकिन उसे प्रशासनिक कैडर सौंपा गया है और उसे फिर से वरिष्ठता निर्धारित की गई है और उसका नाम अब क्रम संख्या 812 पर है। याचिकाकर्ता का नाम अस्थायी वरिष्ठ सूची से बाहर कर दिया गया है। उन व्यक्तियों से तैयार किया गया है जिन्हें मृदा संरक्षण संवर्ग में समाहित किया गया है। कुछ अधिकारियों का नाम, जो ज्वाइन कैडर में याचिकाकर्ता से काफी कनिष्ठ थे, अब 9 जून, 1998 को जारी मृदा संरक्षण संवर्ग की वरिष्ठता सूची में शामिल हैं। एडीओ और मृदा संरक्षण संवर्ग की संवर्ग-वार वरिष्ठता सूची को मंजूरी देने वाली अस्थायी वरिष्ठता सूची तद्नुसार प्रसारित किया जाता है। याचिकाकर्ता ने 6 जुलाई 1998 को वरिष्ठता सूची के विरुद्ध आपत्ति के रूप में अभ्यावेदन दाखिल किया। उनकी दलील है कि उन्होंने मृदा संरक्षण संवर्ग के साथ-साथ सामान्य संवर्ग में शामिल होने के लिए सभी निर्धारित योग्यताएं पूरी कीं और मृदा संरक्षण संवर्ग में शामिल होने के लिए विकल्प का इस्तेमाल किया था। याचिकाकर्ता ने तदनुसार अनुरोध किया कि अस्थायी वरिष्ठता सूची सेवा की लंबाई को ध्यान में रखते हुए वरिष्ठता के आधार पर तैयार की जानी चाहिए थी और इस प्रकार, अधिकारी को उनके विकल्प के आधार पर या तो प्रशासनिक मृदा संरक्षण कैडर में संबंधित कैडर में समाहित किया जाना चाहिए था।याचिकाकर्ता ने कुछ अधिकारियों के नाम भी दिए जिन्हें अब पक्षकार बनाया गया है रिट याचिका में प्रतिवादी और जिन्हें नियुक्ति के लिए चुना गया था मृदा संरक्षण संवर्ग लेकिन याचिकाकर्ता से कनिष्ठ थे। याचिकाकर्ता और उनके जैसे लोगों ने भी व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के लिए प्रार्थना की थी। संबंधित कैडर की सूची को अंतिम रूप देने से पहले। इसके अलावा, याचिकाकर्ता यह भी दलील दी कि उनके पास 6 साल 6 महीने और 16 दिन का अनुभव है सहायक मृदा संरक्षण अधिकारी

के रूप में। दोनों की अंतिम वरिष्ठता सूची। हालाँकि, कैडर का नाम 1 मार्च, 1999 को तय किया गया था। याचिकाकर्ता को मृदा संरक्षण संवर्ग की वरिष्ठता सूची से बाहर कर दिया गया और प्रशासनिक संवर्ग में शामिल किया गया। निजी प्रतिवादी का नाम क्रमांक 5 से 115 को मृदा संरक्षण संवर्ग की उक्त सूची में शामिल किया गया था। हालाँकि वे एडीओ के सामान्य संवर्ग में याचिकाकर्ता से कनिष्ठ थे, कैडर के विभाजन से पहले बनाई गई वरिष्ठता सूची के अनुसार। यह कार्रवाई नियमावली 1993 के प्रावधानों के विरूद्ध है और जो भी है मनमाना और अवैध, याचिकाकर्ता ने तत्काल रिट याचिका दायर की है। शेष जुड़ी रिट याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं की समान शिकायत है।

(5) 2 जून 1999 को इस मामले में प्रस्ताव सूचना जारी कि गई थी। रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान, विभिन्न विविध आवेदन दायर किए गए थे, जिसमें शिकायत की गई थी कि उत्तरदाता उन कर्मचारियों को स्थानांतरित कर रहे थे, जो इस न्यायालय में आए थे। रिट याचिकाएँ. तदनुसार, इस न्यायालय ने आगे के तबादलों के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया। रिट याचिका 17 जुलाई, 2001 को स्वीकार की गई और इसे सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का आदेश दिया गया।

(6) राज्य की ओर से दायर जवाब में, यह बताया गया है कि प्रशासनिक संवर्ग में एडीओएस के 1159 पद और मृदा संरक्षण संवर्ग में एडीओएस के 141 पद पहले से ही अस्तित्व में थे और केवल इन संवर्गों को 5 जून को विभाजित किया गया था। , 1997. यह बताया गया है कि 1993 के नियमों के नियम 9 के अनुसार, 5 संवर्ग, अर्थात् प्रशासनिक संवर्ग, कृषि इंजीनियरिंग संवर्ग, कृषि सांख्यिकी संवर्ग, भूविज्ञान/जल विज्ञान संवर्ग और मृदा संरक्षण संवर्ग बनाए गए हैं। यह माना गया है कि मृदा संरक्षण एक नया संवर्ग है, जिसे सामान्य प्रशासनिक संवर्ग से विभाजित किया जाना है। यह भी विवादित नहीं है कि सामान्य प्रशासनिक संवर्ग में कार्यरत सभी एडीओएस से इन दो विभाजित संवर्गों में पोस्टिंग के लिए विकल्प आमंत्रित किए गए थे। फिर यह बताया गया कि विकल्प प्राप्त होने के बाद, इन दो संवर्गों के लिए अधिकारियों के आवंटन को अंतिम रूप देने में सक्षम प्राधिकारी यानी निदेशक की सहायता के लिए एडीओएस के विकल्पों की प्रक्रिया और जांच करने के लिए चार वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति गठित की गई थी। वरिष्ठता सूची को कैडर-वार अंतिम रूप देते समय, मृदा संरक्षण पक्ष/प्रशासनिक पक्ष में अर्जित उम्मीदवारों के अनुभव को महत्व देने का निर्णय लिया गया। अन्य बातें समान होने पर उन व्यक्तियों को प्राथमिकता दी गई जिन्होंने बी.एससी./एम.एससी. उत्तीर्ण किया हो। प्रमुख विषय के रूप में मृदा विज्ञान के साथ कृषि। यह तर्क दिया गया है कि जिन कर्मचारियों को प्रशासनिक पक्ष में सेवा कैरियर में लंबे समय तक काम करने का अनुभव था, उन्हें प्रशासनिक संवर्ग में समायोजित किया गया है और जिन लोगों को मृदा संरक्षण पक्ष में काम करने का लंबा अनुभव है, उन्हें मृदा संरक्षण संवर्ग में समायोजित किया गया है। ऐसा कहा जाता है कि ऐसा संबंधित कैडरों में अनुभवी हाथों के लिए किया जाता है ताकि कैडरों को विभाजित करने के उद्देश्य को पूरा करने के लिए संबंधित योजनाओं के तहत कार्य सुचारू रूप से और बेहतर तरीके से कार्य किया जा सके। आगे कहा गया है कि ऐसा करते समय, यह निर्णय लिया गया कि भरे हुए पदों का श्रेणी-वार अनुपात निकाला जा सकता है और अधिकारियों को संबंधित संवर्गों की योजनाओं में स्वीकृत पदों के अनुपात में दोनों संवर्गों में समायोजित किया जा सकता है। भरे जाने वाले पदों के अनुपात के अनुसार दोनों संवर्गों में आरक्षित वर्ग को उचित प्रतिनिधित्व भी दिया गया। समिति ने तदनुसार 13 जनवरी, 1998 को अपनी सिफारिश प्रस्तुत की। इस प्रकार तैयार की गई अस्थायी वरिष्ठता सूची को आपत्तियों को आमंत्रित करते हुए प्रसारित किया गया। आपत्तियां प्राप्त होने पर उनकी जांच की

गई। निदेशक, कृषि द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी प्रदान किया गया और उठाई गई आपत्तियों की विस्तार से जांच की गई। इसके बाद ही समिति ने पूरे मामले की जांच करने के बाद कैडर-वार वरिष्ठता सूची को अंतिम रूप देने के लिए अपनी सिफारिश दी। मूल वरिष्ठता सूची में निहित विभिन्न संवर्गों को सौंपे गए अधिकारियों की वरिष्ठता में कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। इस प्रकार, उत्तरदाताओं ने अपने अनुभव के आधार पर विभिन्न अधिकारियों को कैडर सौंपने को उचित ठहराया है। उत्तरदाताओं के अनुसार, विभिन्न संवर्गों से व्यक्तियों को चुनने में उनका कार्य निष्पक्ष, उचित और उचित है और इस प्रकार, किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होगी

(7) जैसा कि ऊपर देखा गया तथ्यों का संक्षिप्त विवरण दर्शाता है कि 1993 से पहले, सभी अधिकारी यानी याचिकाकर्ता और साथ ही निजी उत्तरदाता एक प्रशासनिक कैडर में काम कर रहे थे और एडीओएस के रूप में तैनात थे। वर्ष 1993 में नये नियम अस्तित्व में आये। प्रशासनिक संवर्ग को विभाजित करने के बाद मृदा संरक्षण संवर्ग नामक एक नया संवर्ग बनाया गया। दोनों कैडरों को अलग-अलग ताकत दी गई थी और तदनुसार अधिकारियों को पहले के कैडर को दो भागों में विभाजित करने के बाद अलग-अलग कैडर सौंपे जाने थे। कैडर को अंतिम रूप देने से पहले ही, गुलबीर सिंह ने 1996 की सिविल रिट याचिका संख्या 13885 दायर की और इस न्यायालय ने 10 सितंबर, 1996 को प्रतिवादियों को प्रभावित व्यक्तियों को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के बाद कैडर-वार वरिष्ठता सूची तैयार करने का निर्देश दिया। उचित अवसर की इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए, याचिकाकर्ता और निजी उत्तरदाताओं सहित सभी एडीओ से उन्हें ये दो अलग-अलग कैडर आवंटित करने के लिए विकल्प आमंत्रित किए गए थे। जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, अधिकांश याचिकाकर्ताओं के साथ-साथ निजी उत्तरदाताओं ने 25 जून, 1997 तक अपने विकल्प प्रस्तुत कर दिए थे। हालाँकि, इसके लिए एक नोटिस की आवश्यकता हो सकती है कि राम कुमार, सतबीर सिंह, अशोक कुमार, राम फल सिंह और अमोलक सिंह सिविल रिट याचिका संख्या में हैं। 2001 के 6991 में या तो कोई विकल्प नहीं दिया गया या उनके विकल्प प्राप्त नहीं हुए। यही स्थिति 2000 की सिविल रिट याचिका संख्या 3860 में राम सरूप और 2001 की सिविल रिट याचिका संख्या 7857 में याचिकाकर्ता मांगे राम के संबंध में भी है।

(8) अपनी कार्रवाई को सही ठहराने के लिए, उत्तरदाताओं का कहना था कि उन्होंने उचित मानदंड अपनाए थे और इस मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए एक समिति नियुक्त की थी, जिसने सभी पहलुओं पर विचार किया और सभी प्रभावित व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर देने के बाद अपनी सिफारिश दी। . उत्तरदाताओं द्वारा अपनाया गया मानदंड यह है कि सभी उम्मीदवार, जिनके पास मृदा संरक्षण में 7 वर्ष का अनुभव था, उन्हें सामान्य प्रशासनिक संवर्ग में उनकी पारस्परिक वरिष्ठता को प्रभावित किए बिना मृदा संरक्षण संवर्ग में आवंटित किया गया था। याचिकाकर्ता, जिसके पास मृदा संरक्षण में 7 वर्ष का अनुभव नहीं था, को तदनुसार सामान्य प्रशासनिक संवर्ग में आवंटित किया गया था। यह भी देखा गया है कि कुछ एडीओएस, जिन्हें मृदा संरक्षण कैडर आवंटित किया गया था, लेकिन वे अभी भी प्रशासनिक कैडर में काम कर रहे थे, ने 2000 की सिविल रिट याचिका संख्या 14760 दायर की और मृदा संरक्षण कैडर में अपनी पोस्टिंग के लिए निर्देश मांगा। इस रिट याचिका का निस्तारण उत्तरदाताओं को बिना नोटिस जारी किये 1 नवम्बर, 2000 को निम्नलिखित आदेश के अनुसार कर दिया गया:-

"याचिकाकर्ताओं के वकील को सुना। याचिकाकर्ताओं की मुख्य शिकायत यह है कि वे एस.सी./एस.टी./एस.एस. कैडर से हैं। हालांकि, उन्हें सामान्य प्रशासनिक कैडर के पदों पर तैनात किया गया है, जिससे अनुभव खो गया है, जो पदोन्नति के लिए आवश्यक है। उच्च पद। वे पहले ही

प्रतिवादियों को उसी राहत के लिए प्रतिनिधित्व कर चुके हैं जैसा कि इस याचिका में दावा किया गया है। हालांकि, संबंधित प्राधिकारी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। उत्तरदाताओं को याचिकाकर्ताओं के दावे पर सचेत निर्णय लेने की आवश्यकता है। रिट याचिका के माध्यम से इस अदालत से संपर्क करने की अनुमति दी जा सकती है। संबंधित प्राधिकारी को निर्देश के साथ याचिका का अंतिम रूप से निपटारा किया जाता है। याचिकाकर्ताओं के अभ्यावेदन, परिशिष्ट पी-1 पर एक मौखिक आदेश द्वारा विचार करने और निर्णय लेने के लिए, इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने के छह महीने के भीतर शीघ्रता से कहें।"

(9) यह तब था जब प्रतिवादियों ने 10 मई, 2001 को अपने संबंधित कैडरों में 114 एडीओएस की पोस्टिंग का आदेश जारी किया था। यह इस आदेश के खिलाफ था कि ऊपर उल्लिखित एक नागरिक विविध आवेदन दायर किया गया था, जब के संबंध में यथास्थिति आदेश दिया गया था। आगे स्थानांतरण 22 मई, 2001 को किया गया। यथास्थिति के इस निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, उत्तरदाताओं द्वारा 11 जून, 2001 को निर्देश जारी किए गए थे। इस आदेश को फिर से नागरिक विविध आवेदन दायर करके चुनौती दी गई और इस आदेश का संचालन किया गया। निलंबित। ऐसा प्रतीत होता है कि इसके बाद उत्तरदाताओं ने 22 मई, 2001 को इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश के स्पष्टीकरण/संशोधन की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया था, जिसे अंतिम सुनवाई के लिए सभी 13 याचिकाओं को सूचीबद्ध करने के निर्देश के साथ निपटाया गया था। इस न्यायालय द्वारा 22 मई, 2001 को पारित आदेश में संशोधन/निरस्तीकरण की मांग करने का एक और प्रयास वर्ष 2004 में किया गया, जिसमें न्यायालय से निम्नलिखित आदेश पारित किया गया:-

"इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ये आदेश वर्ष 2001 में पारित किए गए थे, इस स्तर पर, इस न्यायालय के लिए, राज्य को जो कहना है उसे ध्यान में रखते हुए, रोक के आदेश को रद्द करना, सिवाय इसके कि इसे रिकॉर्ड करना उचित नहीं होगा। अर्थात्, बड़ी संख्या में पद खाली पड़े हैं लेकिन इन आदेशों के कारण उन्हें भरा नहीं जा रहा है, केवल यह निर्देश देना उचित होगा कि इस मामले को तुरंत माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखा जाए ताकि सभी त्वरित आवेदन के पैराग्राफ 5 में संदर्भित 13 मामलों को रोस्टर के अनुसार नियमित बेंच के समक्ष रखा जा सकता है, ताकि उनका अंतिम रूप से निपटारा किया जा सके।

जैसा कि ऊपर बताया गया है, कार्यालय आवश्यक कार्रवाई करेगा और इस मामले के रिकॉर्ड तुरंत माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखेगा।"

इस प्रकार, रिट याचिकाएँ अब सुनवाई के लिए आ गई हैं।

(10). याचिकाकर्ता की ओर से पेश श्री पुनीत बाली ने दलील दी कि उत्तरदाताओं ने विभाजन के बाद अधिकारियों को कैडर आवंटित करने में निष्पक्षता नहीं बरती और इसके परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता को अपने सेवा करियर में आगे बढ़ने में पूर्वाग्रह का सामना करना पड़ेगा। दोनों संवर्गों के अधिकारी तकनीकी सहायक के पद पर पदोन्नति के लिए प्रयास करेंगे और जिन्हें मृदा संरक्षण संवर्ग सौंपा गया है, वे कनिष्ठ होते हुए भी तकनीकी सहायक के पद पर अधिकारियों से आगे पदोन्नति हासिल करेंगे। जो संयुक्त वरिष्ठता सूची में उनसे काफी वरिष्ठ थे। दूसरी ओर, उत्तरदाता यह कहकर अपनी कार्रवाई को उचित ठहराएंगे कि उन्होंने इन अधिकारियों को कैडर आवंटित करने के लिए उचित और उचित मानदंड अपनाया है। जो लोग मृदा संरक्षण क्षेत्र में पारंगत थे और उनके पास

उक्त क्षेत्र में अनुभव था, उन्हें चुना गया और उक्त कैडर सौंपा गया, जबकि जिन लोगों ने प्रशासनिक क्षेत्र में अनुभव प्राप्त किया था, उन्हें प्रशासनिक कैडर सौंपा गया है।

(11) इस प्रकार, यह देखा गया है कि आपत्ति कैडर आवंटित करने में उतनी नहीं है, बल्कि संयुक्त वरिष्ठता की अनदेखी करते हुए अलग-अलग अधिकारियों को अलग-अलग कैडर आवंटित करने के परिणाम सामने आ रहे हैं। यह वह परिणाम है जो याचिकाकर्ताओं को परेशान कर रहा है और इस प्रकार, उन्होंने और अन्य लोगों ने इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, और उन्हें सौंपे गए कैडर को आवंटित करने में उत्तरदाताओं की कार्रवाई को चुनौती दी है। उत्तरदाताओं द्वारा अपनाए गए मानदंड प्रथम दृष्ट्या किसी भी मनमानी के दोष से ग्रस्त नहीं हो सकते हैं। किसी व्यक्ति विशेष का पक्ष लेने का कोई स्पष्ट या स्पष्ट उद्देश्य नहीं हो सकता है, लेकिन यदि कैडर के असाइनमेंट से कुछ अनुचित परिणाम होते हैं, जिसके तहत कुछ कनिष्ठ व्यक्तियों को वरिष्ठों से आगे निकलने के लिए मजबूर किया जाता है, तो वह प्रभाव, हृदय में जलन पैदा करने वाला होता है और निष्पक्षता से इस पर गौर किया जाना चाहिए था।

फिर भी, याचिकाकर्ता द्वारा उठाई गई यह दलील किसी भी विचार के योग्य नहीं हो सकती है जब तक कि यह स्थापित नहीं किया जा सके कि वास्तव में कुछ लोग जो याचिकाकर्ता से बहुत कनिष्ठ थे, अब अगली पदोन्नति के उद्देश्य से उनसे आगे निकल गए हैं। संयोग से यह तथ्य रिकार्ड में भी उपलब्ध है। प्रदर्शित करने के लिए कहने पर श्री बाली ने मेरा ध्यान इस संबंध में दायर विविध आवेदन की ओर आकर्षित किया। वह सबसे पहले 2006 के सिविल विविध आवेदन संख्या 19595 की सामग्री का उल्लेख करेंगे। इस आवेदन में, 22 मई, 2001 के यथास्थिति आदेश का संदर्भ दिया गया है, जिसके तहत उत्तरदाताओं को याचिकाकर्ता के कनिष्ठों को उसके ऊपर पदोन्नत करने से रोक दिया गया था। फिर यह बताया गया कि श्री सत्यबीर सिंह और राज कुमार को मृदा संरक्षण संवर्ग में पदोन्नत किया गया है, जो याचिकाकर्ता से कनिष्ठ हैं। इसी तरह, महाबीर सिंह, जो याचिकाकर्ता से कनिष्ठ थे, को कथित तौर पर 20 जून, 2002 को पदोन्नत किया गया था। तब यह बताया गया कि उत्तरदाताओं ने ऐसे व्यक्तियों के सेवा रिकॉर्ड मांगे हैं जो याचिकाकर्ता से बहुत कनिष्ठ हैं और उत्तरदाताओं ने न केवल पदोन्नत किया है याचिकाकर्ता से कनिष्ठ व्यक्ति, लेकिन संयुक्त वरिष्ठता सूची में जहां कैडर संयुक्त था, ऐसे कई अन्य व्यक्तियों को पदोन्नत करने जा रहे थे जो अन्यथा याचिकाकर्ता से कनिष्ठ थे। 2007 का एक अन्य आवेदन संख्या 3798 उत्तरदाताओं को 22 मई 2001 की यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश देने के लिए दायर किया गया था। और वर्तमान याचिका के लंबित रहने के दौरान उक्त यथास्थिति आदेश का उल्लंघन करने वाले कुछ व्यक्तियों को पदोन्नत करने के बाद के आदेश पर रोक लगाने के लिए। इस आवेदन में याचिकाकर्ता से कनिष्ठ श्री हरि पाल सिंह एवं श्री कृष्ण पाल सिंह के पदोन्नति आदेश का भी हवाला दिया गया है। 2007 का एक और आवेदन संख्या 21184 दिनांक 10 दिसंबर, 2007 और 11 दिसंबर, 2007 के पदोन्नति आदेश पर रोक लगाने के लिए दायर किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में ऐसे व्यक्तियों को पदोन्नत किया गया था जो याचिकाकर्ता से कनिष्ठ हैं लेकिन पदोन्नत किए गए थे। इस प्रकार, वरिष्ठता की अनदेखी करते हुए याचिकाकर्ता और निजी उत्तरदाताओं को अलग-अलग संवर्गों में समाहित करने का प्रभाव निश्चित रूप से अनुचित परिणाम की ओर ले जा रहा है। इस प्रकार, इस कार्रवाई की वैधता की जांच की जानी आवश्यक है। उत्तरदाताओं द्वारा अपनाए गए मानदंड स्पष्ट रूप से अनुचित या अन्यायपूर्ण होने के किसी भी दोष से ग्रस्त नहीं हैं, लेकिन उत्तरदाताओं ने स्पष्ट रूप से सभी अधिकारियों की सामान्य वरिष्ठता की अनदेखी करके विभिन्न व्यक्तियों के अवशोषण को निर्देशित करने के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखा है, जब वे समान थे। याचिकाकर्ता का यह शिकायत करना उचित है कि कुछ अधिकारी जो रहे हैं। मृदा संरक्षण कैडर में शामिल हैं, उनसे बहुत कनिष्ठ हैं, लेकिन अब वे उनसे आगे निकलने में सक्षम होंगे और इस

प्रकार, उन्होंने कई वर्षों का लाभ प्राप्त किया है। यह देखा जा सकता है कि इस तरीके से अवशोषण का परिणाम अनुचित संचालन हो रहा है। इससे आसानी से बचा जा सकता था यदि इन अधिकारियों को, जो पहले सामान्य कैडर में काम कर रहे थे, विभाजन के बाद अलग-अलग कैडर आवंटित करते समय वरिष्ठता को भी ध्यान में रखा गया होता।

(12) विकल्प तलाशने या प्रभावित व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर देने का उद्देश्य क्या था, यदि उन्हें पूरी तरह से अपनाए गए मानदंडों के आधार पर समाहित किया जाना था और वरिष्ठता को नजरअंदाज किया जाना था? यदि कोई उस कैडर में शामिल होने में रुचि नहीं रखता है जहां उसे अपनाए गए मानदंडों के आधार पर भेजा जा रहा है, तो विकल्पों को देखना आवश्यक हो सकता है। यह मृदा संरक्षण में 7 वर्षों का अनुभव है, जिसने उत्तरदाताओं के लिए पहले सामान्य कैडर में काम करने वाले विभिन्न अधिकारियों को कैडर आवंटित करने के लिए अन्य सभी विचारों को पछाड़ दिया है। उत्तरदाता इस तथ्य का खंडन नहीं कर पाए हैं कि अंततः इन अधिकारियों की वरिष्ठता प्रभावित होगी। याचिकाकर्ताओं के वकील द्वारा की गई दलीलों में दम है, जब उन्होंने आग्रह किया कि जब वे एक सामान्य कैडर में थे तो उनके पास किसी विशेष पक्ष में काम करने का शायद ही कोई विकल्प था। इस प्रकार, कैडर आवंटित करने के लिए अपनाए गए मानदंड केवल इसलिए कि किसी ने किसी विशेष पक्ष पर काम किया है, कुछ ऐसा है जो एक परिस्थिति के आधार पर किया जा रहा है, जो वास्तव में उनके संबंधित नियंत्रण में नहीं था। इस मामले में एक ही कैडर को दो खंडों में विभाजित कर दिया गया है। निश्चित रूप से उत्तरदाता यह आग्रह नहीं करेंगे कि वे अपनी इच्छानुसार कर्मचारियों को मनमाने ढंग से एक अलग कैडर में वर्गीकृत कर सकते हैं। ऐसा पाठ्यक्रम स्पष्ट रूप से एक ही कैडर में कर्मचारियों की वरिष्ठता की स्थिति और पदोन्नति की संभावनाओं के साथ खिलवाड़ कर सकता है। पदोन्नति की संभावना ऐसी हो सकती है, लेकिन किसी के लिए दावा करने का अधिकार नहीं है। इसे अलग ढंग से देखा जाना चाहिए, जब एक पूर्व कैडर को दो भागों में विभाजित किया जाता है। ऐसा करते समय, इस पहलू को पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि एक कैडर की पदोन्नति की संभावना या तो तेज हो जाएगी या धीमी हो जाएगी। ऐसी परिस्थितियों में, नियोक्ता के लिए यह आवश्यक हो सकता है कि वह अपने कर्मचारियों को उनकी पसंद के अनुसार एक कैडर या दूसरे कैडर में समाहित करने का विकल्प दे। दरअसल, इस मामले में ऐसा विकल्प मांगा गया था। चूंकि ऐसा किया गया था, इसलिए उनके विकल्प को ध्यान में रखते हुए उन्हें वरिष्ठता के क्रम में वर्गीकृत करना उचित होगा। यह पाठ्यक्रम मौजूदा कैडर को एक से अधिक कैडर में विभाजित करने के लिए तर्कसंगत मानदंड होता। पिछली पोस्टिंग पर काम की प्रकृति के आधार पर कर्मचारियों को एक अलग कैडर में वर्गीकृत करना उचित नहीं होगा क्योंकि प्रत्येक को वहां आकस्मिक रूप से पोस्ट किया गया है। जब कैडर एक था और एक व्यक्ति प्रशासनिक पक्ष पर काम कर रहा था और एक व्यक्ति मृदा संरक्षण पक्ष पर काम कर रहा था, तो केवल व्यक्ति द्वारा आयोजित अंतिम पोस्टिंग के आधार पर कैडर के विभाजन पर वर्गीकृत नहीं किया जा सकता था। वरिष्ठता को पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था, खासकर तब जब इसका परिणाम उन लोगों के लिए अनुचित हुआ हो जिन्हें प्रशासनिक कैडर सौंपा गया था। जिन व्यक्तियों को मृदा संरक्षण कैडर सौंपा गया है, उन्हें निश्चित रूप से लाभ हुआ है और वे प्रशासनिक कैडर में काम करने वाले लोगों से वरिष्ठ हो जाएंगे, हालांकि पहले वे उनसे काफी जूनियर थे। ऐसे अधिकारियों द्वारा अपनाए गए विकल्प को वैध रूप से नजरअंदाज किया जा सकता था। याचिकाकर्ता के वकील ने मेरा ध्यान जी.डी. शर्मा बनाम कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और अन्य के मामले की ओर आकर्षित किया[1], जिसमें इसी तरह की

---

1 1997 (1) एसएलआर 294

टिप्पणियां की गई थीं। न्यायालय द्वारा पूछे जाने पर, यह पता चला कि इस फैसले के खिलाफ दायर एक अपील में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस आधार पर मामले को नए फैसले के लिए वापस भेज दिया था कि एकल न्यायाधीश द्वारा पारित फैसले को एक डिवीजन बेंच द्वारा रद्द कर दिया गया था। इसे दूसरे ने बरकरार रखा। तदनुसार मामले को नए सिरे से निपटान के लिए उच्च न्यायालय में वापस भेज दिया गया। उसके बाद क्या हुआ यह सामने नहीं आया है। की गई टिप्पणी मेरे समक्ष मामले पर विचार करने के लिए प्रासंगिक हो सकती है। इसके अलावा, यह निर्णय का प्रभाव है जो कर्मचारियों के एक वर्ग के लिए अनुचित और असमान परिणाम और पूर्वाग्रह का कारण बन रहा है।

13) अनुचित पूर्वाग्रह के इस पहलू को और अधिक उजागर करने के लिए, मामलों में उपस्थित वकील ने मेरा ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया है कि 1993 के बाद, जब नियम लागू थे, 19 व्यक्तियों को एडीओएस के रूप में नियुक्त किया गया था, लेकिन अब उन्हें मृदा संरक्षण संवर्ग को सौंपा गया है। . उनमें कुछ याचिकाकर्ताओं से वरिष्ठ बनने की संभावना है, जो 24 फरवरी, 1977 से सेवा में हैं। राज्य के वकील ऐसे कर्मचारियों को मृदा संरक्षण संवर्ग में समाहित करने की कार्रवाई को उचित नहीं ठहरा सके, जब उन्हें विभाजन के बाद एडीओएस के रूप में नियुक्त किया गया था। कैडर का. इस प्रकार, यह देखना उचित होगा कि उत्तरदाताओं को, स्वाभाविक रूप से, संबंधित व्यक्ति से एक विकल्प प्राप्त करना चाहिए था, जब कैडर को विभाजित किया गया था और यदि उनके अनुसार सभी कर्मचारियों को एक कैडर में समायोजित करना संभव नहीं है विकल्प, फिर उनकी वरिष्ठता के क्रम में उनके विकल्प को ध्यान में रखते हुए उन्हें वर्गीकृत करना। उनकी पोस्टिंग के आधार पर उन्हें एक कैडर में समाहित करने की कार्रवाई उचित और उचित मानदंड नहीं होगी क्योंकि यह कर्मचारियों के हाथ में नहीं है और यह एक आकस्मिक परिस्थिति है जो पूरी तरह से नियोक्ता द्वारा ऐसे कर्मचारी को दी गई पोस्टिंग पर निर्भर है।

(14) उपरोक्त के मद्देनजर, वरिष्ठता और दिए गए विकल्प की अनदेखी करके कैडर आवंटित करने में उत्तरदाताओं की कार्रवाई को कायम नहीं रखा जा सकता है। इसलिए, उत्तरदाताओं को निर्देश दिया जाता है कि वे ऊपर दी गई टिप्पणियों के आलोक में पूरे मुद्दे पर फिर से विचार करें और फिर से निर्णय लें और अधिकारियों को विभिन्न संवर्गों में आवंटित करते समय वरिष्ठता और उसके परिणामी प्रभाव पर उचित विचार करें। हालाँकि, याचिकाकर्ता, जिन्होंने अपने विकल्प नहीं दिए थे, वे अपने कैडर के असाइनमेंट पर इस तरह के पुनर्विचार के हकदार नहीं होंगे और वे उस कैडर में बने रहेंगे, जो उन्हें उत्तरदाताओं द्वारा सौंपा गया है। उत्तरदाताओं की ओर से दुर्भावना का कोई आरोप नहीं लगाया गया है और उत्तरदाताओं को इस अभ्यास को फिर से करने का निर्देश देते समय केवल परिणामी परिणामों को ध्यान में रखा गया है और इस प्रकार, जिन अधिकारियों ने अपने विकल्प का प्रयोग नहीं किया है, उन्हें किसी भी पुनर्विचार का हक नहीं दिया जाएगा।

(15) इसलिए, ऊपर बताई गई सीमा तक और उन याचिकाकर्ताओं के संबंध में रिट याचिकाओं को अनुमति दी जाती है जिन्होंने अपने विकल्पों का प्रयोग किया है। ऐसे याचिकाकर्ताओं को उनकी वरिष्ठता के आधार पर कैडर में समाहित करने के मामले पर तदनुसार विचार किया जाए।

**आर.एन.आर.**

*अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।*

*आकाश सरोहा*

*प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी*

*(Trainee Judicial Officer)*

*रेवाड़ी, हरियाणा*